



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 26.03.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 243/24 धारा  
147/148/452/307/325 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.03.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर राजेन्द्र पुत्र नत्थू निवासी ग्राम खुब्बीपुर निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1-मोनू पुत्र महेन्द्र, 2. प्रदीप पुत्र ओमवीर, 3.प्रमोद पुत्र पाल्लू, 4.राजेश पुत्र विजयपाल, 5. गोल्डी पुत्र नरेश निवासीगण ग्राम खुब्बीपुर निवाडा थाना कोतवाली बागपत



जनपद बागपत द्वारा उसके घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से एक राय होकर लाठी-डण्डों से मारपीट की गयी तथा अभियुक्त मोनू ने अपने ट्रैक्टर महेन्द्रा नं0 HR-34B-5784 को जान से मारने की नीयत से उसके परिवार के ऊपर चढा दिया, जिससे उन्हे गंभीर चोटें आयीं । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 243/24 धारा 147/148/452/307/325 भादवि पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 243/24 धारा 147/148/452/307/325 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजेश पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम खुब्बीपुर निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-का0 1089 अरविन्द थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-का0 595 आजाद कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक 26.03.2024

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 103/2024 धारा 147/148/149/307/504 /506/336 भादवि से सम्बन्धित 09 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो बलकटी, एक लोहे की सरिया व 06 लकड़ी के डंडे बरामद।

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 25.03.2024 को थाना दोघट पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम आजमपुर मुलसम में दो पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल थाना दोघट पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर प्रथम पक्ष के 1.संजीव उर्फ संजू पुत्र इन्दर, 2.सुमित पुत्र संसार, 3.देवेन्द्र पुत्र धनवीर, 4.सतीश



पुत्र इन्दर सिंह, 5.रणधीर पुत्र मामचन्द, 6.विवेक पुत्र सतीश, 7.रोहित पुत्र स्व:रामपाल, 8.पवन पुत्र नत्थू, 9.हिमांशू पुत्र देवेन्द्र निवासीगण ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत व द्वितीय पक्ष के 1.रविन्द्र पुत्र ब्रजपाल, 2.मोहित पुत्र मदन सिंह, 3.विनय पुत्र प्रमोद, 4.उमेश पुत्र हरवीर, 5.जतिन पुत्र आजाद, 6.विनोद पुत्र रणधीर, 7.प्रमोद पुत्र रणधीर, 8.नरेश पुत्र किरणपाल निवासीगण ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत एक राय होकर लाठी-डण्डे व धारधार हथियार से एक-दूसरे पर जान से मारने की नीयत से हमला कर रहे थे व गाली-गलौज करते हुए एक-दूसरे को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पुलिस व जनता के लोगों ने समझाने का प्रयास किया, नहीं माने और झगड़ा करने लगे। इस सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 103/2024 धारा 147/148/149/307/504/506/336 भादवि पंजीकृत किया गया।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 103/2024 धारा 147/148/149/307/504/506/336 भादवि से सम्बन्धित 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 बलकटी, एक लोहे की सरिया व 06 लकड़ी के डंडे बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-सुमित पुत्र संसार निवासी ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-रविन्द्र पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-उमेश पुत्र हरवीर निवासी ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4-मोहित पुत्र मदन सिंह निवासी ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 5-प्रमोद पुत्र रणधीर निवासी ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 6-रणधीर पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 7-संजीव उर्फ संजू पुत्र इन्दर निवासी ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत।
- 8-सतीश पुत्र इन्दर सिंह निवासी ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 9-देवेन्द्र पुत्र धनवीर निवासी ग्राम आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत ।

## बरामदगी का विवरण-

- 02 बलकटी, एक लोहे की सरिया व 06 लकड़ी के डंडे ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-का0 587 अंकुल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-का0 287 अनिल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना दोघट

दिनांक-26.03.2023

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 105/2024 धारा 307/504/506 भादवि में  
वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक दराती  
बरामद ।

## संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.03.2024 को थाना दोघट पर वादी यशबीर सिंह पुत्र स्व0 बचन सिंह निवासी ग्राम अजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त प्रवेन्द्र पुत्र महावीर निवासी ग्राम भड़ल थाना दोघट जनपद बागपत ने वादी के पुत्र अनुज कुमार के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा जान से मारने की नीयत से दराती से गले पर वार किया जिससे वह गम्भीर रूप से घायल



हो गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु०अ०सं० 105/2024 धारा 307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने पर मु०अ०सं० 105/2024 धारा 307/504/506 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक दरती (रक्त रंजित) बरामद की गयी उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक दरती (रक्त रंजित)

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रवेन्द्र पुत्र महावीर निवासी ग्राम भड़ल थाना दोघट जनपद बागपत।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री विपिन कुमार यादव थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2- है०का० 241 विजय कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।